

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक/अकादमिक/अ०म०/2025/482/33

रीवा, दिनांक 18/02/25

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत अभियांत्रिकी संकाय अन्तर्गत कम्प्यूटर साइंस के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यवाधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

कम्प्यूटर साइंस अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक	1.	प्रो. नविता श्रीवास्तव विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा(म.प्र.)
	2.	प्रो. राकेश कुमार कटारे आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा(म.प्र.)
28(2) दो	1.	रिक्त
	2.	रिक्त
28(2) तीन	1.	डॉ. पी.के. राय उपाचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा(म.प्र.)
28(2) चार	1.	डॉ. शिवेन्द्र कुमार द्विवेदी विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, शारदा महाविद्यालय सरलानगर, मैहर(म.प्र.)
	2.	रिक्त
28(2) पाँच	1.	डॉ. कमलापति त्रिपाठी विन्ध्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट एण्ड साइंस सतना(म.प्र.)
	2.	डॉ. मनीष कुमार गुप्ता सिंधू कन्या महाविद्यालय, सतना(म.प्र.)

अधिनियम 28 (3) के अन्तर्गत प्रो. नविता श्रीवास्तव को कम्प्यूटर साइंस अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल(म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल(म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, विज्ञानसंकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुरमार्ग, भोपाल(म०प्र०)
8. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निजसहायक


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)